कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री के0 आर0 पल्प एण्ड पेपर्स लि0, जलालाबाद रोड, शाहजहॉपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**10 / 15, 31.03.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आर0 के0 अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री जे0 पी0 गुप्ता, वाइस प्रेसीडेन्ट कामर्शियल।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री के0 आर0 पल्प एण्ड पेपर्स लि0, जलालाबाद रोड, शाहजहॉपुर द्वारा दिनांक 31.03.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

'' whether the entry tax is to be realized U/S 12 (1) of the Act by the dealer on the sales of Absorbent Kraft Paper meant for use as raw material in the manufacturing of Decorative Laminates from the manufacturer of Decorative laminates dealers. ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री आर0 के0 अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री जे0पी0 गुप्ता, वाइस प्रेसीडेन्ट कामर्शियल उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि प्रार्थी फर्म विनिर्माता इकाई है। माल का किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखने वाले से उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 (1) के अन्तर्गत प्रवेश कर वसूल करके जमा करने का दायित्व प्रार्थी फर्म का है। प्रार्थी फर्म को Absorbent Kraft Paper की बिक्री हेतु परचेज आर्डर सर्वश्री मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, ग्राम अच्छेजा, दिल्ली रोड, हापुड़ से प्राप्त हुआ है। उक्त फर्म के ही वाद वर्ष 2013-14 में माननीय वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद के द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 26.08.2014 में Absorbent Kraft Paper का उपयोग Writing, Printing व Packing में न करके उसका प्रयोग Raw Material के रूप में Laminated Sheets बनाने के कारण, प्रवेश कर का दायित्व नहीं माना है। माननीय वाणिज्य कर अधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दायर की गयी रिवीजन संख्या-724 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2014 में भी माननीय अधिकरण के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने उचित माना है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-4 (1) के अन्तर्गत सर्वश्री मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, ग्राम अच्छेजा, दिल्ली रोड, हापुड़ पर Absorbent Kraft Paper के संव्यवहार पर, जिसका प्रयोग उनके द्वारा Laminated Sheets के निर्माण में किया जायेगा, प्रवेश कर की देयता नहीं मानी गयी है। चूँकि प्रार्थी फर्म Absorbent Kraft Paper की आपूर्ति सर्वश्री मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, ग्राम अच्छेजा, दिल्ली रोड, हापुड़ को ही करेगा, जिसका प्रयोग उक्त इण्डस्ट्रीज द्वारा Laminated Sheets बनाने में किया जायेगा फलस्वरूप उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 (1) के अन्तर्गत प्रवेश कर की वसूली करके राजकीय कोष में जमा करने का कोई विवाद बिन्दु नहीं रह जाता है। अन्त में तदनुसार धारा-59 का प्रार्थना-पत्र

....2

निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा पत्र संख्या-305, दिनांक 14.05.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि सर्वश्री अवध प्लाईवुड मैन्यू0 एसो0, गुप्ता जी का हाता, दूसरी गली, मोती नगर लेन, लखनऊ के मामले में माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के निर्णय दिनांक 09.12.2010 से एबजोरमेन्ट क्राफ्ट पेपर पर प्रवेश कर की देयता मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। अत: उक्त बिन्दु पर धारा-59 के अन्तर्गत पुन: विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Absorbent Kraft Paper पर प्रवेश करदेयता का बिन्दु माननीय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सर्वश्री अवध प्लाईवुड मैन्यू0 एसो0, गुप्ता जी का हाता, दूसरी गली, मोती नगर लेन, लखनऊ के मामले में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 09.12.2010 से निर्णीत किया जा चुका है। सर्वश्री मैरिनो इण्डस्ट्रीज लि0, ग्राम अच्छेजा, दिल्ली रोड, हापुड़ के वर्ष 2013-14 के मामले में माननीय वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमश: पारित निर्णय दिनांक 26.08.2014 व 08.12.2014 में निहित बिन्दु भी स्वत: स्पष्ट है। अत: ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत कोई '' विवाद बिन्दु '' नहीं रह जाता है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में निहित Absorbent Kraft Paper की करदेयता का बिन्दु धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 09.12.2010 द्वारा निर्णीत किया जा चुका है। माननीय वाणिज्य कर अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णयों की व्याख्या धारा-59 की परिधि में नहीं आती है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं रह जाता है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 13 जुलाई, 2015

ह0 / 13.07.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।